विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
संक्षिप्त अवलोकन		ix-xi
अध्याय 1		
आबकारी एवं कराधान विभाग		
वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा		
वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली	1	1
प्रस्तावना	1.1	1
प्रणाली संरचना	1.2	1
ई-वे बिलों के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियां	1.2 (i)	1-2
ई-वे बिल प्रणाली में सम्मिलित प्रक्रियाएं	1.2 (ii)	2
संगठनात्मक संरचना	1.3	3
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	3
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पद्धति	1.5	3-4
लेखापरीक्षा मानदंड	1.6	4
ई-वे बिल डेटा की प्रवृत्तियां और अंतर्दृष्टि	1.7	4
सृजित ई-वे बिलों की प्रवृत्ति	1.7.1	5
विस्तारित, निरस्त और अस्वीकृत ई-वे बिलों की प्रवृत्ति	1.7.2	5
लेखापरीक्षा उपलब्धियां		
दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा	1.8	5-6
सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता	1.9	6
कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत निरंतर बने रहने वाले अपात्र करदाता	1.9.1	6-7
शून्य रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल सृजित करना	1.9.2	7
वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ई-वे बिल सृजित करना	1.9.3	7-9
पंजीकरण निरस्त किए गए डीलरों द्वारा ई-वे बिल सृजित करना	1.9.4	9
समान/मिलता-जुलता इनवॉइस के आधार पर अनेक ई-वे बिल सृजित करना	1.9.5	10
जोखिमपूर्ण वाहनों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए ई-वे बिल का सृजन	1.9.6	10-11
वैधता अवधि समाप्त होने के आठ घंटे बाद ई-वे बिलों का विस्तार	1.9.7	11
ई-वे बिल सृजन के चौबीस घंटे के बाद ई-वे बिल निरस्त करना	1.9.8	11-12

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
ई-वे बिल के विवरण सूचित किए जाने के बहत्तर घंटे बाद ई-वे बिलों की अस्वीकृति	1.9.9	12
ई-वे बिल सृजित करना	1.9.10	12
असंगत आवक-जावक आपूर्ति अनुपात वाले करदाता	1.9.10 (i)	12-13
केवल जावक आपूर्ति ई-वे बिल वाले करदाता	1.9.10 (ii)	13
जोखिमपूर्ण गतिविधियों के लिए ई-वे बिल सृजित करना	1.9.10 (iii)	13-14
उन करदाताओं द्वारा सृजित ई-वे बिल जिनके पंजीकरण बाद में निरस्त कर दिए गए थे	1.9.10 (iv)	14
ई-वे बिलों के डेटा के विश्लेषण में पाई गई अभ्युक्तियां (समग्र अभ्युक्तियां)	1.10	14-15
क्रॉस पैन विश्लेषण	1.11	15
करदाताओं द्वारा कर देयता का निर्वहन न होना/कम निर्वहन होना	1.11 (क)	15-16
करदाताओं के ई-वे बिल अनब्लॉक करने के अनुरोधों पर की गई कार्रवाई	1.12	16
विभाग का प्रवर्तन कार्य	1.13	16
क्या ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की प्रवर्तन गतिविधियां कुशल और प्रभावी हैं	1.13.1	16-17
विभाग की परिचालन संबंधी तैयारी	1.14	17
पर्याप्त कार्यबल की कमी	1.14.1	17
अपवंचन निवारक उपायों की प्रभावशीलता	1.15	17
दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा	1.15.1	17-19
वाहनों के अवरोधन के लिए दिशानिर्देश	1.15.2	19-20
ई-वे बिल सत्यापन के दौरान एकत्रित कर एवं पेनल्टी के लिए मांग न उठाना	1.15.3	20-21
ई-वे बिल से संबंधित लेनदेन की निगरानी में अंतर्विभागीय समन्वय	1.16	21
अवरुद्ध क्रेडिट पर जानकारी पारित करना	1.16.1	21-22
अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा माल की आवाजाही की निगरानी	1.16.2	22
सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.) रिपोर्ट का उपयोग न करना	1.17	22-23
निष्कर्ष	1.18	23
सिफारिशें	1.19	23-24

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय 2		
आबकारी एवं कराधान विभाग		
वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी - चरण II पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा		
वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी - चरण II	2	25
प्रस्तावना	2.1	25
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.2	25-26
लेखापरीक्षा पद्धति और कार्यक्षेत्र	2.3	26
लेखापरीक्षा नमूना	2.4	26-27
लेखापरीक्षा मानदंड	2.5	28
लेखापरीक्षा उपलब्धियां - विभागीय क्षेत्रीय गठनों की लेखापरीक्षा	2.6	28
वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल न करने वालों पर कार्रवाई न करना	2.6.1	28-29
पंजीकरण रद्द करने के विरुद्ध कार्रवाई न करना	2.6.2	29-30
रिटर्नों की जांच	2.6.3	30-32
अन्य मामले: राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग में मानव संसाधन	2.6.4	32
वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियां - केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा	2.7	32-43
विभाग द्वारा केंद्रीकृत (सीमित) मामलों पर उत्तर प्रस्तुत न करना	2.7.1	44-45
केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के परिणाम	2.7.2	45-48
वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा	2.8	48
कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेख प्रस्तुत न करना)	2.8.1	49-50
रिटर्न	2.8.2	50-51
इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग	2.8.3	51-53
कर देयता का निर्वहन	2.8.4	53
निष्कर्ष	2.9	53-55

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	मुख्य समस्या क्षेत्र	1.5	57
1.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य-I के लिए नमूनों की सूची	1.5	58-59
1.3	विशिष्ट अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण की सूची	1.8	60-63
1.4	शून्य रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिलों का सृजन	1.9.2	64
1.5	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ई-वे बिलों का सृजन	1.9.3	65
1.6	रद्द किए गए डीलरों द्वारा ई-वे बिलों का सृजन	1.9.4	66-67
1.7	समान/उसी इनवॉइसों के आधार पर अनेक ई-वे बिलों का सृजन	1.9.5	68
1.8	जोखिमपूर्ण वाहनों के माध्यम से किए गए लेन-देन के लिए ई-वे बिलों का सृजन	1.9.6	69
1.9	आठ घंटे से अधिक समय की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद ई-वे बिलों का विस्तार	1.9.7	70
1.10	ई-वे बिल तैयार होने के चौबीस घंटे के बाद ई-वे बिल रद्द करना	1.9.8	70
1.11	ई-वे बिल विवरण प्रेषित किए जाने के बहत्तर घंटे के बाद ई-वे बिलों को अस्वीकार करना	1.9.9	70
1.12	असंगत आवक-जावक आपूर्ति अनुपात वाले करदाता	1.9.10 (i)	70
1.13	केवल जावक आपूर्ति ई-वे बिल वाले करदाता	1.9.10 (ii)	71
1.14-क	पंजीकरण के छः महीने के भीतर करदाताओं द्वारा बनाए गए उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल	1.9.10 (iii)	72
1.14-ख	उच्च दूरी वाले पिन से पिन तक बनाए गए ई-वे बिल	1.9.10 (iii)	72
1.14-ग	एमसीए डिफॉल्टरों से संबंधित करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल	1.9.10 (iii)	72
1.14-घ	डीजीएफटी की ब्लैक लिस्ट सूची में शामिल संस्थाओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल	1.9.10 (iii)	72
1.14-ङ	डीजीएआरएम द्वारा अपराधों के लिए दर्ज किए गए करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल	1.9.10 (iii)	73
1.14-च	अमान्य पिन कोड का उपयोग करके बनाए गए ई-वे बिल	1.9.10 (iii)	73
1.15	उन करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल जिनका पंजीकरण बाद में रद्द कर दिया गया था	1.9.10 (iv)	74

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.16-क	हरियाणा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्राधिकार में समान पैन वाले करदाताओं को माल की आपूर्ति करने के लिए हरियाणा में करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल	1.11 (क)	74
1.16-ख	हरियाणा में करदाताओं को माल की आपूर्ति करने के लिए हरियाणा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्राधिकार में समान पैन वाले करदाताओं द्वारा बनाए गए ई-वे बिल	1.11 (क)	74
1.17	अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा	1.15.1	75
1.18-क	दर्ज मामले जहां जीएसटी एमओवी - 1, 2, 4 जारी नहीं किए गए थे	1.15.2	76
1.18-ख	दर्ज मामले जहां जीएसटी एमओवी-11 जारी नहीं किया गया था	1.15.2	76
1.19-क	कर और पेनल्टी जमा की गई लेकिन डीआरसी-03 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (पीएमटी-05) में डेबिट नहीं की गई	1.15.3	76
1.19-ख	कर या पेनल्टी या दोनों का भुगतान करने की मांग किए बिना वाहनों को छोड़ देना	1.15.3	77
1.20-क	हरियाणा राज्य क्षेत्राधिकार ई-वे बिल	1.16.1	77
1.20-ख	हरियाणा राज्य क्षेत्राधिकार ई-वे बिल के अतिरिक्त	1.16.1	78-79
2.1	विस्तृत लेखापरीक्षा नमूना	2.4	80-81
2.2	जी.एस.टी.आर.-3बी फाइल नहीं की गई	2.6.1	82
2.3	पंजीकरण निरस्त करने के विरुद्ध कार्रवाई न करना	2.6.2	83
2.4	मानव संसाधन का विवरण	2.6.4	83
2.5	नमूना डेटा विश्लेषण का सारांश (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा)	2.7	84-87
2.6	मामले जहां उत्तर प्राप्त नहीं हुए	2.7.1	88-89
2.7	केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा का सारांश	2.7.2	90-91
2.8	नमूना डेटा विश्लेषण का सारांश (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा)	2.7.2	92-99
2.9	अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना	2.8.1	100-103
2.10	ब्याज का भुगतान न होना	2.8.2	104-105
2.11	आर-2ए और और आर-3बी बेमेल होने के कारण आई.टी.सी. का अत्यधिक लाभ लिया जाना	2.8.3	106-110
2.12	आर.सी.एम. कर का भुगतान न होना या आर.सी.एम. पर आई.टी.सी. का अत्यधिक लाभ लेना	2.8.3	111-112

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.13	जी.एस.टी.आर.9 (8ए) में उपलब्ध आई.टी.सी. और जी.एस.टी.आर.9 (8बी एवं 8सी) में उपलब्ध आई.टी.सी. के बीच असंगतता	2.8.3	113-117
2.14	जी.एस.टी.-3बी में प्राप्त किए गए आई.टी.सी. जैसा कि जी.एस.टी.आर.-9 (6ए) में घोषित है और जी.एस.टी.आर.-9 (6आई) में उपलब्ध आई.टी.सी. के बीच असंगतता	2.8.3	118-119
2.15	जी.एस.टी.आर.-2ए और जी.एस.टी.आर.-9 (8ए) के बीच प्राप्त किए गए आई.टी.सी. में असंगतता	2.8.3	120-124
2.16	अनिष्पादित कर देयता (आर3बी की आर1 एवं आर9 के साथ तुलना)	2.8.4	125-128